Vindhyan Bloom

ISSN-2319-8478
Vol-15 Issue-4, July 2026

A Referred Peer Review Research Journal

Vindhyan Bloom

ISSN-2319-8478 Vol-15 Issue-4, July 2026

Manuscript Information	*Reviewed* *10-07-2026*	*Accepted* *16-07-2026*	*Published* *23-07-2026*	*Paper No.* *VB-2026-07-16*
DOI	*https://doi.org/10.5281/zenodo.22076133*			

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार की प्रासंगिकता

संगीता कुमारी, *सहायक प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान विभाग), सी.सी.ए.एस.जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज ,* ***गनौर , हरियाणा***

सारांश (Abstract): मानवाधिकार मानव गरिमा, स्वतंत्रता एवं समानता के उन बुनियादी सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अंगीकरण के साथ इस अवधारणा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत स्वरूप प्राप्त हुआ। तथापि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य—जिसमें डिजिटल क्रांति, जलवायु परिवर्तन, प्रवासन संकट, महामारी-प्रेरित असमानताएँ तथा भू-राजनीतिक संघर्ष सम्मिलित हैं—ने मानवाधिकारों की प्रासंगिकता एवं क्रियान्वयन दोनों के समक्ष नई चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं। यह शोध पत्र वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रासंगिकता का विश्लेषण करता है, भारतीय संवैधानिक ढाँचे के संदर्भ में इसकी स्थिति की समीक्षा करता है, तथा डिजिटल अधिकार, पर्यावरणीय न्याय एवं लैंगिक समानता जैसे उभरते आयामों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मानवाधिकार केवल एक विधिक अवधारणा नहीं, अपितु सतत विकास एवं सामाजिक न्याय की एक अनिवार्य पूर्वशर्त है।

Keywords: *मानवाधिकार, मानव गरिमा, संविधान, वैश्वीकरण, डिजिटल अधिकार, सतत विकास लक्ष्य*

1. प्रस्तावना

मानवाधिकार की अवधारणा मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ विकसित हुई एक गतिशील एवं बहुआयामी संकल्पना है। यह अवधारणा इस मूल विचार पर आधारित है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता अथवा सामाजिक स्थिति से परे, केवल मनुष्य होने के नाते कुछ अंतर्निहित अधिकारों का हकदार है। प्राचीन भारतीय दर्शन में भी धर्म, न्याय एवं मानव गरिमा की अवधारणाएँ अंतर्निहित रूप में विद्यमान रही हैं, यद्यपि 'मानवाधिकार' शब्दावली का आधुनिक स्वरूप पश्चिमी प्रबोधन-युगीन विचारधारा एवं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से उद्भूत हुआ है।

इक्कीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्रवेश करते हुए, विश्व अभूतपूर्व सामाजिक, तकनीकी एवं पर्यावरणीय परिवर्तनों का साक्षी बन रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा निगरानी, जलवायु आपातकाल, बढ़ती आर्थिक असमानता तथा शरणार्थी संकट जैसी परिघटनाएँ मानवाधिकारों

ISSN-2319-8478
Vol-15 Issue-4, July 2026

की पारंपरिक परिभाषाओं एवं संरक्षण-तंत्रों की पर्याप्तता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। इस पृष्ठभूमि में, यह अध्ययन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों की प्रासंगिकता का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

2. मानवाधिकार की अवधारणा एवं ऐतिहासिक विकास

मानवाधिकारों की उत्पत्ति का पता प्राकृतिक विधि (Natural Law) सिद्धांत से लगाया जा सकता है, जिसके अनुसार कुछ अधिकार मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं तथा राज्य इनका सृजन नहीं अपितु केवल संरक्षण करता है। मैग्नाकार्टा (1215), अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा (1776) एवं फ्रांसीसी मानव तथा नागरिक अधिकारों की घोषणा (1789) ने इस विचारधारा को क्रमिक रूप से संस्थागत रूप प्रदान किया। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका एवं होलोकॉस्ट की त्रासदी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अंगीकृत करने हेतु प्रेरित किया, जो आज भी मानवाधिकार विमर्श की आधारशिला बनी हुई है।

भारत के संदर्भ में, संविधान का भाग III (अनुच्छेद 12–35) मूल अधिकारों के रूप में मानवाधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, जबकि भाग IV में वर्णित राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की दिशा में राज्य को मार्गदर्शन करते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) इस क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है।

3. अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i. वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों की सैद्धांतिक प्रासंगिकता का विश्लेषण करना।

ii. डिजिटल युग, जलवायु परिवर्तन एवं वैश्वीकरण जैसे समकालीन कारकों के मानवाधिकार संरक्षण पर प्रभाव का परीक्षण करना।

iii. भारतीय संवैधानिक एवं संस्थागत ढाँचे में मानवाधिकारों की स्थिति की समीक्षा करना।

iv. मानवाधिकार क्रियान्वयन में विद्यमान चुनौतियों की पहचान कर नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

4. साहित्य समीक्षा

Sen (1999) ने विकास को स्वतंत्रता के विस्तार के रूप में परिभाषित करते हुए मानवाधिकारों एवं मानव विकास के मध्य अंतर्संबंध को रेखांकित किया है। Donnelly (2013) मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता (Universality) एवं सांस्कृतिक सापेक्षतावाद (Cultural Relativism) के मध्य विद्यमान द्वंद्व की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत करते हैं। Nussbaum (2011) का क्षमता उपागम (Capability Approach) मानवाधिकारों को केवल विधिक प्रावधानों तक सीमित न रखते हुए मानव गरिमा हेतु आवश्यक वास्तविक अवसरों की उपलब्धता पर बल देता है। भारतीय संदर्भ में, Baxi (2008) मानवाधिकारों के भविष्य को वैश्वीकरण, बाज़ार-शक्तियों एवं राज्य-सत्ता के मध्य जटिल अंतर्क्रिया के रूप में विश्लेषित करते हैं। उपर्युक्त साहित्य यह स्पष्ट करता है कि मानवाधिकार विमर्श निरंतर विकासशील है तथा प्रत्येक युग की सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप इसकी पुनर्व्याख्या आवश्यक है।

ISSN-2319-8478
Vol-15 Issue-4, July 2026

5. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार की प्रासंगिकता

5.1 वैश्वीकरण एवं मानवाधिकार

वैश्वीकरण ने अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों एवं सूचना-प्रवाह को एक-दूसरे से गहनता से जोड़ दिया है, किंतु साथ ही यह श्रमिक शोषण, अनौपचारिक क्षेत्र में असुरक्षित रोज़गार तथा बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन जैसी नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न करता है। इस संदर्भ में 'व्यवसाय एवं मानवाधिकार' (Business and Human Rights) पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत एक महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय ढाँचा प्रदान करते हैं।

5.2 डिजिटल युग एवं उभरते अधिकार

सूचना प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति ने गोपनीयता के अधिकार (Right to Privacy), डेटा संरक्षण एवं डिजिटल समावेशन जैसे नए आयामों को जन्म दिया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) के ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की। साथ ही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी एवं एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह (Algorithmic Bias) जैसे विषय समान व्यवहार के अधिकार के समक्ष नई चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं।

5.3 पर्यावरणीय न्याय एवं मानवाधिकार

जलवायु परिवर्तन को अब व्यापक रूप से एक मानवाधिकार मुद्दे के रूप में मान्यता प्राप्त हो रही है, क्योंकि यह जीवन, स्वास्थ्य, भोजन एवं आवास जैसे मौलिक अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2022 में स्वच्छ, स्वस्थ एवं सतत पर्यावरण के अधिकार को एक सार्वभौम मानवाधिकार के रूप में मान्यता प्रदान किया जाना इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

5.4 लैंगिक समानता एवं महिला अधिकार

लैंगिक समानता समकालीन मानवाधिकार विमर्श का एक केंद्रीय स्तंभ है। कार्यस्थल पर सुरक्षा, शिक्षा में समान अवसर, राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं शारीरिक स्वायत्तता (Bodily Autonomy) जैसे विषय आज भी अनेक समाजों में संघर्षरत हैं। भारत में #MeToo आंदोलन एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 इस दिशा में सामाजिक-विधिक प्रतिक्रिया के उदाहरण हैं।

5.5 प्रवासन, शरणार्थी संकट एवं अल्पसंख्यक अधिकार

संघर्ष, आर्थिक विषमता एवं जलवायु-प्रेरित विस्थापन के कारण विश्व स्तर पर प्रवासियों एवं शरणार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा एवं मानवीय दायित्वों के मध्य संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्था के समक्ष एक जटिल नैतिक एवं विधिक प्रश्न प्रस्तुत करती है।

6. मानवाधिकार क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ

(i) सार्वभौमिकता एवं सांस्कृतिक सापेक्षतावाद के मध्य द्वंद्व; (ii) प्रवर्तन-तंत्र की सीमित प्रभावशीलता, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर; (iii) राष्ट्र-राज्यों की संप्रभुता एवं अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप के मध्य तनाव; (iv) आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की तुलना में नागरिक एवं राजनीतिक

ISSN-2319-8478
Vol-15 Issue-4, July 2026

अधिकारों को प्राथमिकता दिए जाने की प्रवृत्ति; तथा (v) डिजिटल विभाजन (Digital Divide) के कारण नए अधिकारों की असमान उपलब्धता — ये सभी कारक मानवाधिकार व्यवस्था की समकालीन प्रभावशीलता को सीमित करते हैं।

7. भारतीय संदर्भ में मानवाधिकार: उपलब्धियाँ एवं अंतराल

भारत ने विधिक एवं संस्थागत स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण हेतु महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सक्रिय भूमिका उल्लेखनीय है। तथापि जातिगत भेदभाव, बाल श्रम, मानव तस्करी तथा हाशिए के समुदायों तक न्याय की पहुँच में असमानता जैसे अंतराल आज भी विद्यमान हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं परिणाम-आधारित शिक्षा (Outcome-Based Education) के अंतर्गत मानवाधिकार शिक्षा को पाठ्यक्रम में एकीकृत करना युवा पीढ़ी में संवैधानिक मूल्यों एवं मानवाधिकार चेतना के विकास हेतु एक महत्त्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है।

8. निष्कर्ष

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार न केवल प्रासंगिक बने हुए हैं, अपितु वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन एवं पर्यावरणीय संकट के इस युग में इनकी प्रासंगिकता पूर्व से कहीं अधिक बढ़ गई है। मानवाधिकारों को एक स्थिर विधिक श्रेणी के रूप में नहीं, अपितु एक गतिशील एवं विकासशील संकल्पना के रूप में देखा जाना चाहिए, जो समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर पुनर्परिभाषित होती रहे। सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति, सामाजिक न्याय की स्थापना तथा मानव गरिमा के संरक्षण हेतु मानवाधिकारों की सुदृढ़ शिक्षा, प्रभावी प्रवर्तन-तंत्र एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग की महती आवश्यकता है।

संदर्भ सूची (References):

- United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. UN General Assembly.
- भारत का संविधान। (1950)। भाग III – मूल अधिकार। भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय।
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
- Donnelly, J. (2013). Universal Human Rights in Theory and Practice (3rd ed.). Cornell University Press.
- National Human Rights Commission. (2023). Annual Report. Government of India.
- Nussbaum, M. C. (2011). Creating Capabilities: The Human Development Approach. Harvard University Press.
- Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2022). Report on Human Rights in the Digital Age. United Nations.
- Shiva, V. (2016). Who Really Feeds the World? The Failures of Agribusiness and the Promise of Agroecology. North Atlantic Books.
- Baxi, U. (2008). The Future of Human Rights (3rd ed.). Oxford University Press.